न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

अपील संख्या 326/14 तारीख रजू– 27/11/2014

लेखराज पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम नयागांव तहत तहसील चौथ का बरवाडा।
———— अपीलार्थी

बनाम

1– राजमल 2– देवनारायण 3– लखपत पुत्रान कालू जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम नयागांव तहसील चौथ का बरवाडा।
4– सरकार जरिये तहसीलदार,चौथ का बरवाडा।
———— रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय दिनांक–18/06/2015

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,चौथ का बरवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 07/05/1993 वाके ग्राम नयागांव के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसने अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर उक्त तस्दीकशुदा नामान्तरकण मे पप्पू के स्थान पर अपीलार्थी लेखराज का नाम अंकित करने का निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो0संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री चेतीराम मीना उपस्थित आये व रेस्पो. संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर **प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया व उभय पक्ष की बहस सुनी** गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत ने भू–मापक के द्वारा बनाये गये सजरा के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 11 वाके ग्राम नयागांव मृतक खातेदार कालू के वारीसान मु0 बलाशी(विधवा) राजमल,देवनारायण,लखपत व पप्पू को पुत्रान बताकर तस्दीक किया गया है जबकि अपीलार्थी तत्समय नाबालिग था इसलिये अपीलार्थी का नाम भू–मापक ने बिना जॉच किये पप्पू दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी का रिकार्डेड नाम लेखराज है। अतः तस्दीकशुदा उक्त नामान्तरकरण मे अपीलार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर लेखराज करने के आदेश फरमाये जावें।

वकील रेस्पोण्डेण्टस संख्या 1 लगायत 3 ने बहस मे अपीलार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर लेखराज किये जाने मे कोई आपत्ति नही की।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने के पश्चात **राजस्व लोक अदालत की भावना से** मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि तहसीलदार,चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 07/05/1993 को विरासत के तस्दीक नामान्तकरण मे अपीलार्थी का नाम लेखराज के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया है जिसे लेखराज करने मे वकील रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है। अतः तस्दीकशुदा नामान्तरकरण मे पप्पू के स्थान पर लेखराज शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी, अपीलार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर लेखराज शुद्व किये जाने की सीमा तक स्वीकृत किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण मे अपीलार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर लेखराज दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कुंजबिहारी शर्मा)
सदस्य

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर